

# ORDER SHEET

II-155  
C.J.(E)

THE COURT

274 of  
2017 B.A

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
31 / 07 / 2017	<p>आवेदक / आरोपी सियाशरण द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता ।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. उपस्थित । थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक-13/2017 धारा-25 (1)क, 27 आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम की केस डायरी प्राप्त ।</p> <p>आवेदक / आरोपी सियाशरण ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन एवं उसके मित्र अजय ने अपने शपथपत्र में आवेदनपत्र को प्रथम जमानत आवेदन बताया गया है ।</p> <p><b>आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया ।</b></p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है । पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्नशील है, गिरफ्तारी से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी । अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है ।</p> <p>अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है ।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने व केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि०-30/01/2017 को भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जगन्नाथ तिराहा पर सहअभियुक्त संदीप के आधिपत्य से दो अदिया 315 बोर की, 01 थैला नीले रंग का जिसमें दो 32 बोर की पिस्टलें थीं, तथा सहअभियुक्त आजाद उर्फ मास्टर के आधिपत्य से 10 कटटे 315 बोर के तथा 20 जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले, जिन्हें रखने का उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था । वे उक्त आयुध एवं सामग्री खरीद फरोख्त के लिए रखे हुए थे तथा उक्त आयुध आवेदक / अभियुक्त सियाशरण से खरीदना पाया गया । थाना गोहद चौराहा पर अपराध क्र०-13/2017 अंतर्गत धारा-25 (1)क, 27 आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।</p> <p><b>म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा-5 (1) मुताबिक डकैती अधिनियम के अपराध में अग्रिम जमानत आवेदनपत्र</b></p>	

गृहण किये जाने योग्य नहीं है, अतः उक्त अधिनियम की धारा-5 (1) की मंशा के तहत आरोपी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र गृहण किये जाने योग्य न होने से पोषणीय न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी वापिस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो

{मोहम्मद अज़हर}  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.